उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 1972)

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION ACT, 1972

(U.P. Act No. 34 of 1972)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972]

उ०प्र० अधिनियम सं. 21, 1975
उ०प्र० अधिनियम सं. 5, 1977
उ०प्र० अधिनियम सं. 12, 1978
उ०प्र० अधिनियम सं. 18, 2000
उ०प्र० अधिनियम सं. 02, 2018

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 अगस्त, 1972 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 4 अगस्त, 1972 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 अगस्त, 1972 ई0 की स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 अगस्त, 1972 को प्रकाशित हुआ।]

बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषायें

2—[2](1) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है जब परिषद् स्थापित की जाय;

(ख) "बेसिक शिक्षा" का तात्पर्य हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और पद "बेसिक स्कूल" का तद्नुसार अर्थ लगाया जायगा;

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है;

(घ) "निदेशक" तथा "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों" का तात्पर्य क्रमशः [शिक्षा निदेशक][3], उत्तर प्रदेश, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है;

"[(घ—1) 'जूनियर बेसिक स्कूल' का तात्पर्य बेसिक स्कूल से है, जिसमें कक्षा पाँच तक की शिक्षा दी जाती है।

(घ—2) 'जूनियर हाई स्कूल' का तात्पर्य बेसिक स्कूल से है, जिसमें छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक लड़कों या लड़कियों या दोनों को शिक्षा दी जाती है।]"[4]

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 28 जुलाई, 1972 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 2 द्वारा पुनः संख्यांकित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 21, 1975 की धारा 15 द्वारा रखा गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2, 2018 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।

(ङ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य [जिला पंचायत या नगरपालिका] [1] जैसी भी दशा हो, से है;

[(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।] [2]

[(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।] [3]

परिषद् का संघटन

3–(1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना[4] द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् स्थापित की जायेगी।

(2) परिषद् शास्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी, तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसे सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति होगी और अपने नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) निदेशक, पदेन, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा [उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों][5] के अध्यक्षों में से, यदि कोई हों, नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा [उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों][6] के नगर प्रमुखों में से, यदि कोई हो, नाम–निर्दिष्ट किया जायगा;

(घ) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा [उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों][7] के प्रेसीडेन्टों में से, यदि कोई हो, नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(ङ) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(च) प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान, पदेन;

[(च–1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, पदेन;

(च–2) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, पदेन;][8]

(छ) दो शिक्षाविद्, जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ज) एक अधिकारी जिसका पद उप निदेशक, शिक्षा के पद से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायगा, और जो सदस्य–सचिव होगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 2(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 2(2) (खण्ड–च) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 2(ख) द्वारा पुनःसंख्याकित तथा बढ़ाया गया।
4. राज्य सरकार अधिसूचना सं0 6088/15–(5)–72––150––72 द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 1972 एक ऐसा दिनांक नियत किया गया जब से परिषद् उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के रूप में जाना जायेगा।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 3(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1975 की धारा 16 द्वारा बढ़ाया गया।

(4) उपधारा (3) के खंड (ङ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग के किसी अधिकारी को जिसका पद राज्य सरकार के उप सचिव के पद से कम न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रति नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा तथा उसे मत देने का भी अधिकार होगा।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् के सदस्यगण सामान्यतः नियुक्ति–आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये पद धारण करने के हकदार होंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति पहले ही समाप्त न कर दी जायः

प्रतिबन्ध यह है कि पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है।

(6) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के दौरान बने रहे सदस्य कार्य कर सकते हैं मानों कोई रिक्ति न हुई हो।

(7) परिषद् के संगठन में केवल किसी रिक्ति या किसी दोष होने के कारण परिषद् का कोई कार्य अथवा कार्यवाही अविधिमान्य न समझी जायगी।

परिषद के कृत्य

4–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिये अध्यापक–प्रशिक्षण दिये जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना तथा उस पर नियंत्रण करना, और उसके स्तर को ऊंचा उठाना और उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा–प्रणाली से परस्पर संबद्ध करना, होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की, विशेषतया, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :–

(क) बेसिक शिक्षा और उस हेतु अध्यापक–प्रशिक्षण के लिये संशिक्षण–क्रम तथा पुस्तक विहित करना;

(ख) जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र परीक्षा तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं का संचालन करना जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभ्यर्पित करे और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करना;

[(ग) [गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं][1] द्वारा संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्तर मापक निर्धारित करना तथा उक्त संस्थाओं द्वारा संशिक्षण प्रदान करने और परिषद् संचालित परीक्षाओं में प्रवेश दिलाने के लिये परीक्षार्थियों को तैयार करने के संबंध में उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना;][2]

[(गग) उन सभी बेसिक स्कूलों का प्रबन्ध लेना जो नियत दिनांक के पूर्व किसी स्थानीय निकाय के थे;][3]

[प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विहित संशिक्षण क्रम और पुस्तकें और मान्यता प्राप्त संस्थायें इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा विहित या मान्यता प्राप्त समझी जायगी,][4]

(घ) बेसिक स्कूलों, [जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान][5] बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्था का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1975 की धारा 17 (1) द्वारा रखा गया।
3. उ0 प्र0 अधि0 सं0 5, 1977 की धारा 26 (क–1) द्वारा अन्तर्विष्ट तथा सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।
4. उपर्युक्त की धारा 26 (क–2) द्वारा रखी गई तथा सदैव से रखी गई समझी जायेगी।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[(ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार या यथा सुधार और उसमें अनुसंधान के लिये [गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं][1] द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का (परिष्कार सहित या रहित) अनुमोदन करना;][2]

(च) किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना या निस्तारण करना; [* * *][3]

(छ) राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता और अधीक्षण प्राप्त करना;

[(छ–1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निर्देश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।][4]

(छ–2) [* * *][5]

(ज) ऐसे सभी कार्य करता जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन अथवा कर्त्तव्य का पालन करने के लिये आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो;

[(3) प्रतिबन्ध (2) के खण्ड (गग) या खण्ड (घ) के अधीन बेसिक स्कूलों का, जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिये ऐसे स्कूलों के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय की शक्ति और कृत्य परिषद् को अन्तरित हो जायेंगे।][6]

परिषद का कार्य संचालन

5–(1) परिषद् और [* * *][7] धारा 11 में अभिदिष्ट गांव शिक्षा समिति का कार्य ऐसे विनियमों के अनुसार संचालित किया जायगा, जिन्हें परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से तद्र्थ बनाये।

(2) विशेषतया, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:–

(क) परिषद् अथवा उपधारा (1) में अभिदिष्ट [समिति][8] की बैठकें बुलाना और करना, ऐसी बैठकों का कार्य–संचालन और ऐसी बैठक में गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद् के अध्यक्ष और सचिव तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति और कर्त्तव्य;

(ग) [* * *][9]

(घ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् या [समिति][10] के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया ;

(ङ) परिषद् द्वारा धृत अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्कूलों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 4 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1975 की धारा 17 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 4 (घ) द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 4 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 4 (च) द्वारा निकाला गया।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 26 (ख) द्वारा रखी गई और सदैव से रखी गई समझी जायेगी।
7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 5 (क) के द्वारा निकाला गया।
8. उ0प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 23 द्वारा निकाला गया।
10. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा कोई विनियम न बनाया जाय, कोई विनियम जो उक्त उपधारा के अधीन बनाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये विनियम में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, परिवर्तन कर सकती है, अथवा उसे विखण्डित कर सकती है।

परिषद् के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

6–(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ, परिषद् उतने अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।

(2) [* * *][1]

(3) [* * *][2]

परिषद् की निधि

7–(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायेंगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, परिषद् को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर अथवा प्रयोजनों के लिये ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

8–(1) परिषद् उचित लेखा तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, वार्षिक लेखा विवरण–पत्र तैयार करेगी

(2) परिषद् एक वार्षिक वित्तीय विवरण–पत्र (बजट) तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

9–(1) नियत दिनांक को और केवल बेसिक स्कूलों के संबंध में किसी स्थानीय निकाय के अधीन उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व कार्यरत प्रत्येक अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत कोई पर्यवेक्षी या निरीक्षण कर्मचारिवर्ग भी है) परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे और वे परिषद् के अध्यापक, अधिकारी य अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे जिनपर वे धारण करते यदि परिषद् संघटित न की गयी होती और वे तब तक इस प्रकार बने रहेंगे जब तक कि [ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों और शर्तों में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा][3] परिवर्तन न कर दिया जायः

प्रतिबन्ध यह है कि नियत दिनांक के पूर्व किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा स्थानीय निकाय के अधीन की गयी कोई सेवा परिषद् के अधीन की गयी सेवा समझी जायगीः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों का संपादन करने के लिये जिन्हें वह उचित समझे, किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कार्य ले सकती है और प्रत्येक ऐसा अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तद्नुसार संपादन करेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी पर लागू न होगी जो नियत दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर सरकार को तदर्थ लिखित नोटिस द्वारा परिषद् कर्मचारी न होने के लिये अपना विकल्प सूचित कर दे, और यदि कोई कर्मचारी ऐसी नोटिस देता है तो स्थानीय निकाय के अधीन उसकी सेवा नियत दिनांक से समाप्त हो जायगी और वह स्थानीय निकाय से प्रतिकर का हकदार होगा जो निम्नलिखित होगाः–

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1978 की धारा 24 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1975 की धारा 18 द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1978 की धारा 25 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके तीन माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिये वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि;

(ख) अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके एक माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिये वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उसमें अभिदिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् का कर्मचारी हो जाय, ऐसे स्कूल अथवा स्थानीय क्षेत्र से जिसमें वह नियत दिनांक के तत्काल पूर्व सेवायोजित था, परिषद् के किसी अन्य स्कूल या संस्था अथवा यथास्थिति, किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के तत्काल पूर्व नियन्त्रित होता था, [जब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमों द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निर्बधनों और शर्तों में परिवर्तन न कर दिया जाय,][1] स्थानान्तरित किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि [बेसिक स्कूल के, जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे][2] किसी अध्यापक को किसी अन्य स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल में स्थानान्तरण, सिवाय उसकी सहमति के नहीं किया जायगा।

(4) यदि इसके सम्बन्ध में कि किसी व्यक्ति की सेवा उपधारा (1) के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित हुई या नहीं अथवा नियत दिनांक के तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारी के पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(5) उपधारा (1) में अभिदिष्ट कर्मचारियों के लिए किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित कोई भविष्य–निधि, ऐसे कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के भी सम्पूर्ण अंशदान सहित जिसे नियत दिनांक के पूर्व जमा किया जाना चाहिए था किन्तु जमा न किया गया हो, स्थानीय निकाय द्वारा परिषद् को अन्तरित की जायगी जिसे वह ऐसी निधि को नियन्त्रित करने वाले निर्बन्धनों तथा शर्तों के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए न्यास के रूप में रखेगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं को परिषद् में स्थानान्तरित किए जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

[**9–क (1)** इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से][3],–

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायेगी;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1976 की धारा 25 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1979 की धारा 25 द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

(घ) धारा 18–क को उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद्, लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका की जिसके प्रादेशिक क्षेत्र को सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या आस्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने को शक्ति नहीं होगी।]

जिला पंचायत के कृत्य

[**10**–उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशक के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उसमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :–

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना।

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय।][1]

नगरपालिकाओं के कृत्य

[**10–क**–यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :–

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय–पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;][2]

गांव शिक्षा समिति और उसके कृत्य

[**11–(1)** प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य–सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :–

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय–पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र को सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति में जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यो को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।][1]

बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण

12–(1) निदेशक किसी बेसिक स्कूल [* * *][2] और बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय के कृत्यों का सम्पादन करने वाली अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के अभिलेखों और उसकी कार्यवाहियों का भी समय–समय पर निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है।

[(2) निदेशक किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को निरीक्षण करने पर या अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का निदेश दे सकता है।

(3) यदि बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक प्रबन्धाधिकरण द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिये मामला परिषद् को निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है।][3]

[12क[* * *][4]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2000 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 28 (1) द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 28 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 8 के द्वारा निकाला गया।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

13–(1) परिषद् ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जायें।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा अपनी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में या प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में और अपने किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में अथवा संपादित किए जाने के सम्बन्ध में परिषद् और राज्य सरकार के बीच, अथवा परिषद् और किसी स्थानीय निकाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा, यथास्थिति, परिषद् या स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

(3) परिषद् या कोई स्थानीय निकाय राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियां तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करेगी जिसकी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय–समय पर अपेक्षा करे।

अध्यारोही प्रभाव

[**13–क** संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।][1]

प्रत्यायोजन की शक्ति

14–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई [शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय][2] ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो निर्दिष्ट की जायं निदेशक अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनियमों को बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष या ऐसी समिति अथवा अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जायं, किया जा सकता है।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

15–राज्य सरकार या परिषद् अथवा उसकी किसी समिति या परिषद् के अथवा किसी समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत दिये गए किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किए गए या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

16–इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिषद् अथवा उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसरानुकूल गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अथवा किसी ऐसी अधिनियमिति के जिसके द्वारा अथवा अधीन कोई स्थानीय निकाय संघटित हो, किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का भी उपबन्ध है, जिनसे तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, और जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर समझे, बना सकती है।

(2) इस धारा (1) के अधीन कोई आदेश [उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्][3] नहीं दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

[**18**–उपबन्ध उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 तथा यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में सम्मिलित किये गये][4]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 9 के द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 10 के द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 11 के द्वारा प्रतिस्थापित।
4. विज्ञप्ति सं0 2426/XVII-V-I-88-72-दिनांक 25 जुलाई 1973 देखिए।

स्थानीय निकायों से सम्बन्धित अधिनियमों का संशोधन

18–(1) नियत दिनांक से, उपधारा (2) और (3) में उल्लिखित अधिनियमितियां उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जायेंगी।

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में धारा 43 में उपधारा (2) में, शब्द "अध्यापकों के तथा" निकाल दिये जायें, और उपधारा (3) में खण्ड (क) निकाल दिया जाये और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "यथास्थिति, शिक्षा चुनाव समिति या चुनाव समिति" के स्थान पर शब्द "चुनाव समिति" रख दिये जायें।

(3) यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में,–

(क) धारा 68 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :–

"(1) बोर्ड संकल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के मुख्य अधिकारी जैसे सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत अभियन्ता, सहायक विद्युत अभियन्ता, जल–कल अभियन्ता सहायक, जल–कल अभियन्ता, विद्युत एवं जल–कल अभियन्ता, सहायक विद्युत एवं जल–कल अभियन्ता या ओवरसियर तथा जहां पहले से कोई कार्यपालक अधिकारी हो, सचिव की नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर करेगा।"

[(ख) बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में धारा 73 लागू न होगी][1]

(ग) अनुसूची 1 में, स्तम्भ 2 में, धारा 68 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :–

"सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत अभियन्ता, सहायक विद्युत अभियन्ता, जल–कल अभियन्ता, सहायक जल–कल अभियन्ता, विद्युत एवं जल–कल अभियन्ता, सहायक विद्युत एवं जल–कल अभियन्ता, अर्हता प्राप्त ओवरसियर या सब–ओवरसियर अथवा सचिव नियुक्त करना।"

कतिपय भवनों के सम्बन्ध में परिषद् का किरायेदार होना

[18–क–(1) जहां किसी भवन या उसके भाग पर किसी स्थानीय निकाय का किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिये नियत दिनांक पर किरायेदार के रूप में अध्यासन हो, वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी, उक्त दिनांक से परिषद् के पक्ष में अन्तरित हो जायेगी।

(2) जहां किसी स्थानीय निकाय के किसी भवन या उसके भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजनों के लिये नियत दिनांक पर स्थानीय निकाय अध्यासन था, वहां परिषद् उक्त दिनांक से ऐसे भवन या भाग के सम्बन्ध में, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, स्थानीय निकाय की ओर से लाइसेंसधारी हुआ समझा जायेगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा, पट्टा या अन्य संलेख, या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।][2]

नियम बनाने की शक्ति

[19–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।][3]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 31 द्वारा अन्तर्विष्ट तथा सदैव से अन्तर्विष्ट किये गये समझे जायेंगे।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये उपबन्ध बनाया जा सकता है, अर्थात् :–

(क) धारा 6 के अधीन अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती, और उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें ;

(ख) धारा 9 के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ग) परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों से अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें ;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिये अधिनियम में अपर्याप्त उपबन्ध है और राज्य सरकार द्वारा नियमों में उपबन्ध बनाना आवश्यक समझा जाय ;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाता हो या किया जा सकता हो।][1]

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 14, 1972 का निरसन

20–उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972 एत्दद्वारा निरस्त किया जाता है।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित